झारखण्ड सरकार

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(जिला समाज कल्याण शाखा)

फैक्स–06432-232967 / ई–मेलः–dswodeoghar@gmail.com / awc17monitoring@gmail.com

–: अल्कालीन निविदा :–

वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु देवघर जिला में डायन प्रथा के उन्मूलन कार्यक्रम आयोजन हेतु नीचे लिखे विभिन्न सामग्री / संचालन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा मोहर बंद लिफाफा में (तकनिकी एवं वित्तीय अलग–अलग) दिनांक 23/01/2018 .. को समय 12.00 बजे तक जिला समाज कल्याण शाखा, देवघर में प्राप्त की जायेगी तथा दिनांक 23/1/2018 को ....3.... बजे अपराह्न में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय क्रय समिति के बैठक में खोली जायेगी। निविदा दाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा खोलने समय उपस्थित रह सकते है।

डायन कुप्रथा कार्यक्रम / सामग्री एवं संचालन की सूची : –

1. होर्डिंग हेतु फ्लैक्स प्रति वर्ग फिट में।
2. जागरूकता रथ का संचालन हेतु माईक तथा ऑडियों–विडियों बिजुअल के माध्यम से फुल सजावट सहित प्रचार–प्रसार।
3. देवघर जिले में नुक्कड़ नाटक का आयोजन। प्रति नुक्कड़ नाटक में।
4- पम्पलेट छपाई A4 साईज 70GSM Paper.
5. पेंटिंग एवं दिवाल लेखन प्रति वर्गफिट में।

नियम एवं शर्ते : –

1. निविदाता को जमानत राशि देना होगा। साथ ही निविदाता को निविदा के साथ 10,000.00 (दस हजार) रूपये का एन0एस0सी0 / बैंक ड्राफ्ट जो जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर के पदनाम से प्रतिज्ञित होगा प्रतिभूति की राशि के रूप में संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता को GST का प्रमाण–पत्र तथा आयकर तीन वर्षो यथा 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 का अंकेक्षण प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. निविदाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा।
4. निविदा एकल दर देना अनिवार्य होगा।
5. निविदाता को तकनिकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफा में देना होगा तथा दोनो लिफाफ को एक साथ मुहरबंद लिफाफा में देना अनिवार्य होगा। साथ ही तकनिकी निवादा खोलने पर जिस प्रतिष्ठान का सभी कागजात सही पाया जाता है तो तक उसका वित्तीय निविदा खोला जायेगा। जिनका कागज अधूरा होगा उस निविदाता का निविदा रद्द करते हुए वित्तीय निविदा नहीं खोला जायेगा।
6. निविदा दर से ही सभी प्रकार के कर तथा GST एवं परिवहन / हथालन व्यय भी सम्मलित होगा।
7. आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 15 दिनों के अंदर नमूने के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित संस्थानों में करना होगा।
9. निर्धारित समयावधि के अंदर नमूने के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में आपूर्तिकर्त्ता की प्रतिभूति राशि जब्त करने / काली सूची बंद्ध करने / आदि की कार्रवाई का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी या प्राधिकृत पदाधिकारी को होगा।
10. निविदा से संबंधित सामग्रियों आदि की विशेष जानकारी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में प्राप्त की जा सकती है।
11. क्रय समिति का किसी भी अथवा सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने अथवा एक से अधिक निविदाता के बीच आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
12. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
13. वैसे निविदादाता जिनका नाम काली सूची में दर्ज है या जिन पर अपराधिक मुकदमा दायर है। उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।